भारत सरकार

जनजातीय कार्य मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या-2367

उत्तर देने की तारीख- 13/03/2025

जनजातीय अधिकारों का संरक्षण

2367. श्री एस. सुपोंगमेरेन जमीर:

क्या **जनजातीय कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) जनजातीय समुदायों के सामने आ रही भूमि विस्थापन, बुनियादी सेवाओं तक पहुंच की कमी और वंचित रखने सहित प्रमुख समस्याओं का समाधान करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं;

(ख) क्या सरकार के पास जनजातीय अधिकारों के संरक्षण और जनजातीय क्षेत्रों में प्राकृतिक संसाधनों के दोहन को रोकने के लिए विशिष्ट उपाय हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) सरकार द्वारा यह सुनिश्चित करने के लिए क्या उपाय किए गए हैं कि विकास परियोजनाओं से जनजातीय समुदायों को विस्थापन और आजीविका का नुकसान न झेलना पड़े; और

(घ) जनजातीय समुदायों को पुनर्वास प्रदान करने के लिए मौजूदा तंत्र का ब्यौरा क्या है?

उत्तर

जनजातीय कार्य राज्यमंत्री

(श्री दुर्गा दास उइके)

(क), (ग) तथा (घ): भूमि और उसका प्रबंधन राज्यों के अनन्य विधायी और प्रशासनिक क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आता है जैसा कि भारत के संविधान (सातवीं अनुसूची- सूची II (राज्य सूची)- प्रविष्टि संख्या (18) के तहत प्रदान किया गया है। हालांकि, भारत के संविधान में अनुसूचित जनजाति समुदाय के हितों की रक्षा और उचित पुनर्वास सुनिश्चित करने के लिए विशेष प्रावधान और कई कानून हैं; उनमें से कुछ **अनुलग्नक-I** में हैं।

जनजातीय कार्य मंत्रालय (एमओटीए) अनुसूचित जनजातियों के विकास के लिए समग्र नीति, योजना और कार्यक्रमों के समन्वय के लिए नोडल मंत्रालय है, जो अनुसूचित जनजातियों के कल्याण और विकास के लिए विभिन्न योजनाओं को लागू कर रहा है। अनुसूचित जनजातियों को बुनियादी सेवाओं तक पहुँच प्रदान करने के लिए, जनजातीय कार्य मंत्रालय ने प्रधानमंत्री जनजातीय आदिवासी न्याय महाअभियान (पीएम-जनमन) और धरती आभा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान (डीए-जेजीयूए) जैसी कई योजनाओं के माध्यम से विभिन्न पहलें की हैं।

पीएम-जनमन एक परिवर्तनकारी नीति स्तरीय पहल है जिसका उद्देश्य 18 राज्यों और 1 संघ राज्यक्षेत्र में 75 विशेष रूप से कमज़ोर जनजातीय समूहों (पीवीटीजी) के समग्र विकास को बढ़ावा देना है। ₹24,104 करोड़ (केंद्रीय हिस्सा: ₹15,336 करोड़ और राज्य हिस्सा: ₹8,768 करोड़) के बजटीय परिव्यय के साथ, 3 वर्षों के लिए स्वीकृत पीएम-जनमन को पीवीटीजी समुदायों के लिए आवश्यक सेवाओं तक समान पहुँच प्रदान करने, उनके रहने की स्थिति में सुधार करने और उनकी सामाजिक-आर्थिक प्रगति को सुगम बनाने के लिए डिज़ाइन किया गया है। मुख्य उद्देश्यों में सुरक्षित आवास, स्वच्छ पेयजल, शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा, पोषण तक बेहतर पहुंच, सड़क संपर्क, बिजली और बेहतर आजीविका के अवसर प्रदान करना शामिल है।

डीए-जेजीयूए एक बहु-क्षेत्रीय पहल है, जिसका उद्देश्य गांवों में रहने वाली जनजातीय आबादी के समग्र और सतत विकास को सुनिश्चित करना है। यह महत्वाकांक्षी कार्यक्रम जनजातीय कार्य मंत्रालय सहित 17 मंत्रालयों की योजनाओं को 25 लक्षित

उपायों के माध्यम से एकीकृत करता है, जिसका उद्देश्य 63000 से अधिक जनजातीय बहुल गांवों को आवश्यक सेवा अवसंरचना से परिपूर्ण करना है। इस पहल का उद्देश्य जनजातीय गांवों में प्रमुख अंतरों को दूर करना है, जिसमें सुरक्षित आवास और स्वच्छ पेयजल, बेहतर स्वच्छता और स्वास्थ्य सुविधाएं, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा और पोषण तक बेहतर पहुंच, बिजली आपूर्ति और नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों को बढ़ावा देना, बेहतर सड़क और दूरसंचार संपर्क और भाग लेने वाले मंत्रालयों की प्रासंगिक योजनाओं के अभिसरण के माध्यम से स्थायी आजीविकाशामिल हैं।

उपरोक्त के अलावा, अनुसूचित जनजाति समुदायों के कल्याण और विकास के लिए जनजातीय कार्य मंत्रालय द्वारा कार्यान्वित कुछ अन्य योजनाओं का विवरण **अनुलग्नक-II** में दिया गया है।

इसके अतिरिक्त, भारत सरकार क्षेत्रीय मंत्रालयों के माध्यम से विभिन्न योजनाओं को क्रियान्वित कर रही है, जिसमें देश भर में आदिवासी कल्याण और विकास के लिए अनुसूचित जनजाति घटक (एसटीसी) [अनुसूचित जनजातियों के लिए विकास कार्य योजना (डीएपीएसटी)] के रूप में समर्पित निधियां निर्धारित की गई हैं। इसमें शिक्षा, स्वास्थ्य, स्वच्छता, जल आपूर्ति, आजीविका आदि के लिए सहायता शामिल है। जनजातीय कार्य मंत्रालय (एमओटीए) के अलावा, 41 मंत्रालय/विभाग विभिन्न जनजातीय विकास परियोजनाओं के लिए एसटीसी के तहत जनजातीय विकास के लिए अपने कुल योजना बजट का एक निश्चित प्रतिशत आवंटित कर रहे हैं।

(ख): वन अधिकार अधिनियम, 13 विभिन्न अधिकारों को मान्यता देता है, जिनमें व्यक्तिगत या साझा कब्जे के तहत वन भूमि पर निवास करने या आजीविका के लिए स्व-कृषि का अधिकार, स्वामित्व का अधिकार, लघु वन उपज को एकत्र करने, उपयोग करने और निपटाने का अधिकार, जल निकायों और उसके उत्पादों के उपयोग का अधिकार, चराई के लिए चारागाह (स्थायी या पारमार्थिक दोनों) और पारंपरिक मौसमी संसाधनों तक पहुंच शामिल है और साथ ही यह वन पर निर्भर समुदाय की ग्राम सभा को किसी भी सामुदायिक वन संसाधन की रक्षा, पुनरोद्धार या संरक्षण या प्रबंधन करने का अधिकार और जिम्मेदारी भी प्रदान करता है, जिसका वे पारंपरिक रूप से सतत संरक्षण तथा उपयोग करते आ रहे हैं।

एफआरए के तहत धारा 3(1) (ग) स्वामित्व के अधिकार,लघु वन उपज के संग्रह, उपयोग और निपटान के अधिकार को मान्यता देती है, जिसे पारंपरिक रूप से वन निवासी समुदायों द्वारा गांव की सीमाओं के भीतर या बाहर एकत्र किया जाता रहा है। साथ ही, पेसा, 1996 लघु वन उपज के स्वामित्व अधिकार प्रदान करके ग्राम सभा को सशक्त बनाता है।

इसके अलावा, धारा 3(1) (झ) ग्राम सभाओं को जैव विविधता का प्रबंधन और संरक्षण करने का अधिकार देती है। और धारा (5) में प्रावधान है कि ग्राम सभा और ग्राम स्तरीय संस्थाओं को (क) वन्य जीवन, वन और जैव विविधता की रक्षा करने का अधिकार है; (ख) यह सुनिश्चित करना कि आस-पास के जलग्रहण क्षेत्र, जल स्रोत और अन्य पारिस्थितिकी संवेदनशील क्षेत्र पर्याप्त रूप से संरक्षित हैं; (ग) यह सुनिश्चित करना कि वन में रहने वाले अनुसूचित जनजातियों और अन्य पारंपरिक वन निवासियों के आवास को उनकी सांस्कृतिक और प्राकृतिक विरासत को प्रभावित करने वाली किसी भी तरह की विनाशकारी प्रथाओं से बचाया जाए; (घ) यह सुनिश्चित करना कि सामुदायिक वन संसाधनों तक पहुंच को विनियमित करने और जंगली जानवरों, जंगल और जैव विविधता पर प्रतिकूल प्रभाव डालने वाली किसी भी गतिविधि को रोकने के लिए ग्राम सभा में लिए गए निर्णयों का अनुपालन किया जाए।

दिनांक 13.03.2025 को पूछे जाने वाले लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 2367 के भाग (क), (ग) एवं (घ) के उत्तर में संदर्भित अनुलग्नक I

अनुसूचित जनजातियों के भूमि अधिकारों की रक्षा और सुरक्षा तथा भूमि अधिग्रहण और आदिवासियों के विस्थापन के मुद्दे का समाधान करने के लिए संवैधानिक और कानूनी प्रावधान

(1) **अनुसूची-V के अंतर्गत संवैधानिक प्रावधान** भूमि अधिग्रहण (अर्जन) आदि के कारण जनजातीय आबादी के विस्थापन के खिलाफ सुरक्षा प्रदान करते हैं। अनुसूचित क्षेत्रों वाले राज्य के राज्यपाल को जनजातियों से भूमि के हस्तांतरण को निषेध या प्रतिबन्धित करने तथा ऐसे मामलों में अनुसूचित जनजातियों के सदस्यों को भूमि के आवंटन को विनियमित करने का अधिकार है। संविधान की अनुसूची V के पैरा 5.2 का मुख्य उद्देश्य अनुसूचित क्षेत्र में किसी जनजातीय व्यक्ति के अलावा किसी अन्य व्यक्ति को अचल संपत्ति हस्तांतरित करने पर पूर्ण प्रतिबंध लगाना है।

(2) **पंचायत (अनुसूचित क्षेत्रों तक विस्तार) अधिनियम, 1996** (संक्षेप में पेसा) में यह भी प्रावधान है कि "विकास परियोजनाओं के लिए अनुसूचित क्षेत्रों में भूमि अधिग्रहण (अर्जन) करने से पहले तथा अनुसूचित क्षेत्रों में ऐसी परियोजनाओं से प्रभावित व्यक्तियों को पुनः बसाने या पुनर्वासित करने से पहले ग्राम सभा या उचित स्तर की पंचायतों से परामर्श किया जाएगा।"

(3) **अनुसूचित जनजाति और अन्य परंपरागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम** (संक्षेप में एफआरए) 2006 में अधिनियमित किया गया था, जो न केवल जनजातीय आबादी के किसी भी विस्थापन को रोकने के लिए पर्याप्त सुरक्षा प्रदान करता है, बल्कि जमीनी स्तर पर वन अधिकारों की मान्यता और निहितीकरण की प्रक्रिया में लोकतांत्रिक संस्थाओं को शामिल करने का भी प्रयास करता है।

क) एफआरए की धारा 4(4) में यह प्रावधान है कि यह अधिकार विरासत में मिलेगा, लेकिन हस्तांतरणीयया अन्तरणीय नहीं होगा और विवाहित व्यक्तियों के मामले में पति-पत्नी दोनोंके नाम पर संयुक्त रूप से पंजीकृत होगा तथा एकल व्यक्ति द्वारा संचालित परिवार के मामले में एकल मुखिया के नाम पर पंजीकृत होगा और प्रत्यक्ष उत्तराधिकारी की अनुपस्थिति में, विरासत में मिला अधिकार निकटतम रिश्तेदार को हस्तांतरित हो जाएगा।

ख) एफआरए की धारा 4(5) में कहा गया है कि "जैसा अन्यथा उपबंधित है उसके सिवाय, किसी वन में निवास करने वाली अनुसूचित जनजाति या अन्य परंपरागत वन निवासियों का कोई सदस्य उसके अधिभोगाधीन वन भूमि से तब तक बेदखदल नहीं किया जाएगा या हटाया नहीं जाएगा जब तक कि मान्यता और सत्यापन प्रक्रिया पूरी नहीं हो जाती है"।

(4) **भूमि अधिग्रहण, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013** (आरएफसीटीएलएआरआर अधिनियम, 2013) में अनुसूचित जनजातियों के लिए विशेष प्रावधान हैं, जिनमें भूमि के बदले भूमि, उच्च प्रतिकर और पुनर्वास पैकेज शामिल हैं और इन्हें धारा 41 और 42 के तहत स्पष्ट किया गया है। आगे के सुरक्षा उपाय और प्रावधान नीचे दिए गए हैं: -

(i) **आरएफसीटीएलएआरआर अधिनियम की प्रथम अनुसूची** में भूमि स्वामियों के लिए मुआवजे का प्रावधान है। आरएफसीटीएलएआरआर, 2013 की धारा 3(द) (ii) के अनुसार, **'भूमि स्वामी'**में वह व्यक्ति शामिल है जिसे एफआरए, 2006 (2007 का 2) या वर्तमान में लागू किसी अन्य कानून के तहत वन अधिकार प्रदान किए गए हैं।

(ii) **आरएफसीटीएलएआरआर की दूसरी अनुसूची** में पहली अनुसूची में दिए गए प्रावधानों के अतिरिक्त सभी प्रभावित परिवारों (भूमि मालिकों और ऐसे परिवारों जिनकी आजीविका मुख्य रूप से अधिग्रहीत भूमि पर निर्भर है) के लिए पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन का प्रावधान किया गया है।

(iii) **आरएफसीटीएलएआरआर की तीसरी अनुसूची** पुनर्वास क्षेत्र में उचित रूप से रहने योग्य और नियोजित बस्ती के लिए बुनियादी सुविधाओं का प्रावधान करती है। भूमि अधिग्रहण, पुनर्वासन और आरएफसीटीएलएआरआर अधिनियम, 2013 में उचित मुआवजे और पारदर्शिता का अधिकार प्रभावित व्यक्तियों/परिवारों की पहचान करने की प्रक्रिया [धारा 3 की उपधारा (ग)], मुआवजे की राशि का निर्धारण और गणना (धारा 26 से 29), के साथ-साथ पुनर्वासन और पुनर्व्यस्थापन प्रक्रियाओं को विकसित करने के लिए तंत्र (अध्याय V और VI) का भी उल्लेख किया गया है।

अनुलग्नक-II

दिनांक 13.03.2025 को पूछे जाने वाले लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 2367 के भाग (क), (ग) एवं (घ) के उत्तर में संदर्भित अनुलग्नक II

मंत्रालय जनजातीय समुदायों के कल्याण और विकास के लिए निम्नलिखित योजनाएं भी क्रियान्वित कर रहा है:

(i) **'प्रधानमंत्री जनजातीय विकास मिशन)पीएमजेवीएम(':**पीएमजेवीएम जनजातीय उद्यमिता पहलों को मजबूत करने और कृषि / एनटीएफपी / गैर-कृषि के उद्यमों, अधिक कुशल, न्यायसंगत, स्व-प्रबंधित, प्राकृतिक संसाधनों के इष्टतम उपयोग को बढ़ावा देकर आजीविका के अवसरों को सुविधाजनक बनाने की परिकल्पना करता है। 5 वर्षों)2021-22 से 2025-26) के लिए 1612.27 करोड़ रुपये के कुल वित्तीय परिव्यय के साथ, 3 प्रमुख घटक हैं। पहले घटक में "न्यूनतम समर्थन मूल्य) एमएसपी (के माध्यम से लघु वन उपज) एमएफपी (के विपणन के लिए तंत्र "शामिल है, जिसमें 87 एमएफपी के लिए एमएसपी तय किया गया है। दूसरा घटक, एमएफपी के लिए मूल्य श्रृंखला का विकास", जिसमें वनधन केंद्र स्थापित किए गए हैं। तीसरा घटक "जनजातीय उत्पादों/उपजों के विकास और विपणन के लिए संस्थागत सहायता "है, जिसमें भारतीय जनजातीय सहकारी विपणन विकास महासंघ)ट्राइफेड (को अनुदान दिया जाता है, जो योजना को क्रियान्वित)लागू (करने के लिए नोडल एजेंसी है।

(ii) **मैट्रिक-पूर्व छात्रवृत्ति:**यह एक केंद्र प्रायोजित योजना है जिसे संबंधित राज्य/संघ राज्यक्षेत्र प्रशासनों के माध्यम से कार्यान्वित किया जाता है। यह एक खुली) ओपन-एंडेड (योजना है जिसमें IXवीं और Xवींकक्षा में पढ़ने वाले अनुसूचित जनजाति के वे सभी छात्र शामिल हैं, जिनके माता-पिता की वार्षिक आय2 . 50लाख रुपये तक है। भारत सरकार का अंशदान75 % और राज्य का अंशदान 25% है। पूर्वोत्तर राज्यों और पहाड़ी राज्यों के संबंध में, भारत सरकार का योगदान 90% और राज्य का योगदान 10% है। बिना विधान सभा वाले अंडमान और निकोबारजैसे संघ राज्यक्षेत्रों और स्वयं के अनुदान के मामले में, भारत सरकार का अंशदान 100% है।

(iii) **मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति:**यहएक केंद्र प्रायोजित योजना है जिसे संबंधित राज्य/संघ राज्यक्षेत्र प्रशासनों के माध्यम से कार्यान्वित किया जाता है। यह एक खुली)ओपन-एंडेड (योजना है, जिसमें ग्यारहवीं और उससे ऊपर की कक्षा में पढ़ने वाले अनुसूचित जनजाति के वे सभी छात्र शामिल हैं, जिनके माता-पिता की वार्षिक आय2 . 50लाख रुपये तक है। भारत सरकार का अंशदान75 % और राज्य का अंशदान 25% है। पूर्वोत्तर राज्यों और पहाड़ी राज्यों के संबंध में, भारत सरकार का योगदान 90% और राज्य का अंशदान 10% है। बिना विधान सभा वाले अंडमान और निकोबार जैसे संघ राज्यक्षेत्रों और स्वयं के अनुदान के मामले में, भारत सरकार का अंशदान 100% है।

(iv) **जनजातीय अनुसंधान संस्थान)टीआरआई (को सहायता:**टीआरआई को सहायता योजनाओं के तहत राज्य सरकारों/संघ राज्यक्षेत्रों को उनके प्रस्ताव के आधार पर अनुसंधान, दस्तावेज़ीकरण आदि के लिए निधियां प्रदान की जाती हैं।

(v) **एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय)ईएमआरएस:**(दूरदराज के क्षेत्रों में अनुसूचित जनजाति (एसटी) के छात्रों (कक्षा 6वीं से 12वीं तक) को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करने के लिए वर्ष 1997-98 में शुरू किया गया, सरकार ने 2018-19 में इसे केंद्रीय क्षेत्र की योजना के रूप में नवस्वरूपित किया जिसके तहत 50% या उससे अधिक अजजा आबादी और कम से कम 20,000 आदिवासी व्यक्तियों वाले हर ब्लॉक में ईएमआरएस स्थापित किया जाना है। तदनुसार, देश भर में 728 ईएमआरएस स्थापित करने का लक्ष्य रखा गया है, जिससे 3.5 लाख से अधिक अजजा बच्चों को लाभ मिलने की संभावना है। इस योजना को संचालित करने के लिए एक स्वायत्त सोसायटी नेशनल एजुकेशन सोसाइटी फॉर ट्राइबल (एनईएसटीएस) की स्थापना की गई है। आज तक, मंत्रालय द्वारा सभी स्कूलों को मंजूरी दी गई है, जिनमें से 477 के कार्यशील होने की सूचना है जो 1,30,000 से अधिक अजजा बच्चों को लाभान्वित कर रहे हैं।

(vi) **संविधान के अनुच्छेद 275(1) के प्रावधान) परंतुक (के तहत अनुदान :**जनजातीय कार्य मंत्रालय संविधान के अनुच्छेद 275(1) के प्रावधान)परंतुक (के तहत अनुदान के अतंर्गत भी राज्य सरकारों को निधियां प्रदान करता है। यह भारत सरकार से 100% अनुदान है। इस कार्यक्रम के अंतर्गत वित्तपोषण का उद्देश्य राज्य को उस राज्य में अनुसूचित जनजातियों के कल्याण कोबढ़ावा देने के उद्देश्य से विकास की ऐसी योजनाओं की लागत को पूरा करने में सक्षम बनाना है।

(vii) **अनुसूचित जनजातियों के कल्याण के लिए कार्यरत स्वैच्छिक संगठनों को सहायता अनुदान:** अनुसूचित जनजातियों के कल्याण के लिए काम करने वाले स्वैच्छिक संगठनों को वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है।

*****